पत्रांक / जी०एस०टी०/2025-26/ 359 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जी०एस०टी० अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 21 अक्टूबर, 2025

// आदेश //

जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के ऐलाटमेन्ट की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय से जारी आदेश संख्या 841/जी०एस०टी०/2024-25/ राज्य कर दिनांक 07-01-2025 से श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ तथा श्रीमती निरूपमा सक्सेना, उप निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर्स के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु नामित किया गया था ।

वर्तमान में श्रीमती निरूपमा सक्सेना उप निदेशक का स्थानान्तरण हो जाने एवं श्रीमती रश्मि अवस्थी उप निदेशक मिशन कर्मयोगी(MDO) के साथ-साथ अन्य दायित्वों का भी निर्वहन किये जाने के कारण आदेश संख्या-841 /जी०एस०टी०/2024-25/ वाणिज्य कर दिनांक 07-1-2025 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 83 में विहित प्रक्रिया के अनुसार जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु श्रीमती सुमन राय, सहायक निदेशक तथा श्री रवीन्द्र कुमार(द्वितीय), सहायक निदेशक को नामित किया जाता है ।

आई०टी०अनुभाग,मुख्यालय के स्तर से कॉमन पोर्टल पर श्रीमती रश्मि अवस्थी को आंवटित "GSTN Approval Role" श्रीमती सुमन राय, सहायक निदेशक तथा श्री रवीन्द्र कुमार(द्वितीय), सहायक निदेशक को दिये जाने तथा श्रीमती रश्मि अवस्थी की लॉगिन आई०डी० पर उपलब्ध अनिस्तारित प्रार्थना पत्रों को श्रीमती सुमन राय, सहायक निदेशक तथा श्री रवीन्द्र कुमार(द्वितीय), सहायक निदेशक की लॉगिन आई०डी० पर ट्रासंफर करना सुनिश्चित करेंगे ।

इस कार्यालय से जारी आदेश सं०-334/जी०एस०टी०/2018-19/ वाणिज्य कर दिनांक 25-06-2018 आदेश सं०-334/जी०एस०टी०/2018-19/ वाणिज्य कर दिनांक 25-06-2018 यथासंशोधित आदेश संख्या–जी०एस०टी०/2020-21/213/ वाणिज्य कर दिनांक 24-08-2020 एवं जी०एस०टी०/ 2021/720/ वाणिज्य कर, दिनांक 11-03-2022, जी०एस०टी०/ 2023-24/704/ वाणिज्य कर, दिनांक 29-12-2023 एवं जी०एस०टी०/ 2024-25 / 310 / राज्य कर दिनांक 22-07-2024 एवं आदेश संख्या 841 /जी०एस०टी०/2024-25/ राज्य कर दिनांक 07-01-2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 21-10-2025
10:19:35

(डा० नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ०प०सं०/ / तद्दिनांकित उक्त ।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
2 संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को वॉछित कार्यवाही / वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3 संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4 श्रीमती रश्मि अवस्थी, उप निदेशक,वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
5 श्रीमती सुमन राय, सहायक निदेशक तथा श्री रवीन्द्र कुमार(द्वितीय), सहायक निदेशक वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Digitally signed by
MOOL CHANDRA
Date: 21-10-2025
10:25:50

अपर आयुक्त प्रेड-1(विधि/जी०एस०टी०)
राज्य कर, उ०प्र० ।